

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/एल-01-06/2016-

/स्वा0, डा0 श्याम मोहन दास, सिविल

सर्जन, जमुई के द्वारा स्वयं के बिमारी के कारण उपभोगित चिकित्सीय अवकाश को महालेखाकार, बिहार के पत्रांक जी0ई0-10-D-111-628 दिनांक 09.08.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के आलोक में दिनांक 02.12.2015 से 01.04.2016 तक कुल 122 (एक सौ बाईस) दिनों का रूपांतरित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

2. प्रस्ताव में संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य (शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित विभागीय आदेश संख्या 888(5) दिनांक 11.07.2018 के आलोक में) का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/-

(जगदीश कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक : 617 (3)

/स्वा0, पटना, दिनांक : 9.8.18

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, भागलपुर प्रमंडल भागलपुर/सिविल सर्जन, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, जमुई/डा0 श्याम मोहन दास, सिविल सर्जन, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,3,9,18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

(Signature)
स्वा0/अवर सचिव